यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

रण संख्या : 34 / 2020
रीख दायर : 13.07.2020

अनवान

1. चारभूजा जी स्थान देह मानपुरा जरिये पूजारी नन्दकिशोर पिता कन्हैयालाल जाति पाराशर निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश पिता हेमराज जाति छीपा निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. कालू पिता हेमराज जाति छीपा निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. गोपाल पिता हेमराज जाति छीपा निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

पस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)।
2. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.11.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में चारभूजा जी स्थान पिछे के नाम पर कृषि भूमि स्थित है। जिसका पूजारी नन्दकिशोर पाराशर है। उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 1985 में चारभूजा जी स्थान के नाम थी। जिसमे शिकमी काश्तकार की हैसियत से बालु छोगा भूरा, मथुरा पिता धुलीराम सेवक उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं व जमाबन्दी सम्वत 2021 में भी चारभुजा जी स्थान में खडमदार की हैसियत से प्रार्थी के पूर्वज काश्त करते चले आ रहे थे। वर्तमान प्रार्थी नंदकिशोर पाराशर पूजारी की हैसियत से सेवा पूजा चारभुजा जी स्थान की करता है एवं आराजी संख्या 2226, 2228, 2234, 2241 व 2242 प्रार्थी के हक हिस्से में आता है व प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम मानपुरा से रेकार्डेड रास्ता आराजी संख्या 2557 में से होकर पश्चिमी दिशा में आराजी संख्या 2238, 2237. 2235 के दक्षिणी मेर पर होकर आराजी संख्या 2237 के दक्षिणी मेर व 2235 के दक्षिणी मेर पर होकर 2234 पर पहुंचता है एवं उक्त आ.0चा० से उत्तरी दिशा में स्थित आराजीयात में पहुंचने हेतु आराजी संख्या 2235 के पश्चिमी मेर पर होकर प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 2241 व अन्य आराजियात में पहुंचता है। उक्त रास्ता मोके पर 15 फीट चौडा रास्ता है। कि पीढ़ी दर पीढी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारजन सजबेल, पेदल, टेक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं लेकिन जिस रास्ते को प्रार्थी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है वो रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में दर्ज नहीं है जिससे विपक्षीगण ने प्रार्थी को आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने जाने हेतु दिनांक 18.06.2020 को मना कर दिया इसलिए प्रार्थी के पास उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराने के अलावा अन्य कोई उपचार शेष नहीं रहा है। प्रार्थी वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि के उक्त रास्ते के अभाव में काश्त नहीं कर पा रहा है इसलिए उक्त रास्ते के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्ते नक्शे में **A** से **B** बिन्दु के रूप में दर्शाया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम मानपुरा

अधिकारी

ुरा में स्थित आराजी संख्या 2226, 2228, 2234, 2241 व 2242 में पहुंचने के लिए राजस्व ई एवं नक्शे में स्थित 15 फीट चोडा रास्ता आराजी संख्या 2238, 2237 व 2235 की दक्षिणी पर स्थित रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे व आ०चा0 2235 के पश्चिमी पर स्थित रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा जमा कराने को र है।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सम्मन मय ल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया।

दिनांक 14.06.2020 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता महेश चन्द्र सुखवाल ने ाब प्रार्थना पत्र पेश किया। कि ग्राम मानपुरा के आराजी संख्या 2241, आहता चाह संख्या 2234 ने चारभूजा जी स्थान देह मानपुरा के खाते में होना स्वीकार है। यह कि ग्राम मानपुरा मे राजी संख्या 2238, 2237, 2235 विपक्षीगण के खाते में दर्ज होना स्वीकार है। यह कि यह गलत कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने का पुराना 15 फीट चौडा रास्ता विपक्षीगण के खाते की षि भूमि पर कभी भी अवस्थित रहा हो। प्रार्थी के खेत कुएँ पर आने जाने का रास्ता विगत 100 लो से कभी भी नहीं रहा है। यह कि प्रार्थी के आहता चाह संख्या 2234 पर आने जाने का स्ता ग्राम मानपुरा से निकलकर चेनपुरिया उर्फ ठीकरिया आने जाने के रास्ते पर होकर आराजी ख्या 2230 की उत्तरी मेर आराजी संख्या 2229 की उत्तरी मेंर पर होकर आहता चाह संख्या 233 से होकर आहता चाह संख्या 2234 पर पंहूचता है। आहता चाह संख्या 2234 सूखा होकर सिंचाई के काम में नहीं आता हैं प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 2241 पर आने जाने का रास्ता ाम मानपुरा से चेनपुरिया उर्फ ठीकरिया आने जाने के रास्ते से होकर आराजी संख्या 2259 की दक्षिणी मेर आराजी संख्या 2243 की दक्षिणी मेर आराजी संख्या 2242 की पश्चिमी मेर से होकर पहुंचता है। आराजी संख्या 2242 चारभूजा स्थान देह की खेती की भूमि है। यह कि ग्राम मानपुरा में स्थित आराजी संख्या 2230 का खातेदार प्रभू पिता मांगीलाल माली, आराजी संख्या 2229 का खातेदार लादू पिता हजारी माली आहता चाह संख्या 2233 के खातेदार प्रभू पिता मांगीलाल माली, हजारी माली हैं ग्राम मानपुरा में स्थित आराजी संख्या 2259 बिलानाम भूमि है। आराजी संख्या 2243 नारायण पिता देवा कुम्हार के खाते की भूमि है। यह कि चारभूजा स्थान देह मानपुरा के खाते की आराजी संख्या 2241 पर आने जाने का रास्ता विगत 100 सालो से ग्राम मानपुरा से चेनपुरिया उर्फ ठीकरिया से आने जाने के रास्ते से होकर सरकारी भूमि आराजी संख्या 2259 आराजी संख्या 2243 की दक्षिणी मेर पर होकर चारभूजा स्थान देह की आराजी संख्या 2242 पर पंहूचता है। आराजी संख्या 2241 आराजी संख्या 2242 के सटती हुई हैं यह रास्ता विगत 100 सालो के अधिक समय से मौके पर रहा है इसी रास्ते का उपयोग उपभोग आराजी संख्या 2241, 2242 पर आने जाने के लिए रहा है। यह कि प्रार्थी के खेतो पर जाने का मौके पर वैकल्पिक रास्ता हैं विपक्षीगण द्वारा कथित रास्ते पर होकर ही प्रार्थी व प्रार्थी के पुजारी पैदल, संजबैल, ट्रैक्टर इत्यादी लाते ले जाते रहे है। यह कि विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि को सार्वजनिक रास्ते की भूमि घोषित किया जाना राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना कतई विधि एवं न्यायसंगत नही है। यह कि सार्वजनिक रास्ता घोषित किये जाने से पहले सर्व साधारण को सूचित किया जाना विधि एवं न्यायसंगत है। यह कि प्रार्थी द्वारा कथित रास्ते की मौका रिपोर्ट के साथ साथ विपक्षीगण द्वारा कथित रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाना विधि एवं न्यायसगत हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमावे। साथ ही विशेष कथन किया कि प्रार्थी की और से विपक्षीगण के विरूद्ध विवादित रास्ते बाबत् प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 64 सन् 2016 दिनांक 18.12.2018 को नोट प्रेस मे खारिज कर दिया गया। प्रार्थनापत्र संख्या 64 सन 2016 को विधि अनुरूप समयावधि मे रेस्टोर नही किया। आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी के प्रावधानों के अनुसार यह प्रार्थनापत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से वार्ड है। यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं धारा 208 रा.टि.ए. के प्रावधानों के अनुसार रा.टि.ए. की अनुसूची के अनुसार व्यवहार

उपखंड अधिकारी
मांडलगढ़

Scanned with CamScanner

या संहिता के सभी प्रावधान धारा 11 सी.पी.सी. आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. लागू होते हे। नापत्र के खारिजी पर भी आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधान सपटीत धारा 141 सी.पी.सी. ना पत्र प्रार्थी पोसनीय नही है। प्रार्थना पत्र स्व्यय खारीज योग्य है। अतः श्रीमन् से प्रार्थना है प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयय खारीज फरमावें।

दिनांक 07.01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2927 ांक 30.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री चारभुजा जी स्थान देह निवासी मानपुरा के खातेदारी भूमि ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल पुरा की आराजी नम्बर 2226, 2228, 2234, 2241 व 2242 पर पहुंचने के लिए अप्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 2237, 2238 व 2235 में से 15 फीट चोडा रास्ता मांगा गया है। प्रार्थी की जी पर पहुंचने के लिए मांगा गया रास्ता ही लघुतम नही है ग्राम मानपुरा की आराजी नम्बर 4, 2243, 2219 व 2220 के मध्य से रास्ता देने मे आराजी नम्बर 2241 व 2242 में पहुंचा जा ता है जो कि चाहे गए रास्ते से लघुतम है। आराजी नम्बर 2219 व 2220 में प्रार्थी की आराजी र 2241 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक मौके पर रास्ता निकला होकर मौके पर चालू है परन्तु रास्ता मौके पर आराजी नम्बर 2220 को दो भागो में विभक्त कर रहा है। प्रार्थीगण की खाते भूमि पर पहुंचने के लिये अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी नम्बर 2238 मे 0.0090 हैक्टयेर, ाजी संख्या 2237 मे से 0.0180 हैक्टेयर व आराजी संख्या 2235 में से रकबा 0.0576 हैक्टेयर 0.0876 हैक्टेयर (11 बिस्वा) भूमि रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 56705 या प्रति बीघा से दुगूनी से 113410 रुपया बनती है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित या गया। प्रतिवादीगण श्री कमलेश, कालू, गोपाल पिता हेमराज छीपा उपस्थित है एवं हस्ताक्षर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मय मौका पर्चा व सूचना पत्र।

दिनांक 09.11.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मानपुरा में ा हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दिनांक .01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा नी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक स्ता नहीं है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम मानपुरा में प्रार्थी श्री चारभुजा जी स्थान देह निवासी मानपुरा के खातेदारी भूमि की आराजी नम्बर 2226, 2228, 2234, 2241 व 2242 पर पहुंचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी नम्बर 2238 में से 0.0090 हैक्टयेर, आराजी संख्या 2237 में से 0.0180 हैक्टेयर व आराजी संख्या 2235 में से 0.0576 हैक्टेयर कुल 0.0876 हैक्टेयर (11 बिस्वा) भूमि रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 56705 रूप्या प्रति बीघा से दुगूनी से 113410 रुपया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner